

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 827]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2015 ⁄पौ"K 10, 1937
No. 827]	NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2015/ PAUSA 10, 1937

पोत परिवहन मंत्रालय (पीएचआरडी डिविजन) अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 1025(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप—धारा (1) के खंड (ग) के अनुसरण में और दिनांक 23.7.2014 के भारत सरकार के पोत परिवहन (पत्तन स्कंध) के सा.कां.नि. सं. 522(अ) के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्न तालिका में कॉलम—3 में विनिर्दिष्ट संख्या में व्यक्तियों को कॉलम—2 में दर्शाए हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 01.04.2016 से 31. 03.2018 तक की अविध के लिए कंडला पत्तन के न्यासी बोर्ड में नियुक्त करती है।

तालिका

क्रम सं.	थ्हत	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की सं.
(1)	(2)	(3)
1	पत्तन में नियोजित श्रम	2
2	वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रतिनिधि	1
3	सीमा शुल्क विभाग के प्रतिनिधि	1
4	गुजरात सरकार के प्रतिनिधि	1
5	पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि	1
6	रक्षा सेवा (नौसेना) के प्रतिनिधि	1
7	तटरक्षक के प्रतिनिधि	1
8	भारतीय रेलवे के प्रतिनिधि	1
9	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि	1
10	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(सी)(i)(7) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित	4
11	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(सी)(ii) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित	3
	कुल	17

[फा. सं. एलबी–11013/11/2015–एल] बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव

5503 GI/2015 (1)

MINISTRY OF SHIPPING

(PHRD DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2015

G.S.R. 1025(E).—In pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping (Ports Wing) No. G.S.R. 522(E), dated 23-07-2014, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (3) of the Table below to be appointed to represent the interests mentioned in column (2) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Kandla for the period from 01.4.2016 to 31.03.2018:

TABLE

Sl. No.	Interests	No. of Persons to be appointed
(1)	(2)	(3)
1.	Labour employed in the Port	2
2.	Rep. of Mercantile Marine Deptt.	1
3.	Rep. of Department of Customs	1
4.	Rep. of State Govt. of Gujarat	1
5.	Rep. of Ministry of Shipping	1
6.	Rep. of Defence Services (Navy)	1
7.	Rep. of Coast Guard	1
8.	Rep. of Indian Railways	1
9.	Rep. of Ministry of Environment, Forest & Climate Change	1
10.	Other Interests as envisaged under Section 3(1)(c)(i)(7) of	4
	MPT Act, 1963	
11.	Other Interests as envisaged under Section 3(1)(c)(ii) of MPT	3
	Act, 1963	
	TOTAL	17

[F. No. LB-11013/11/2015-L]

BARUN MITRA, Jt. Secy.